



संख्या— चौं / जी०ए०८०(शिक्षा) / A4-100(P-II) / 2021

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
सुद्धाराला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक : २१ सितम्बर 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र सं० 2082 व पत्र संख्या 2083 दिनांक 10.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दून बिजनेस स्कूल, सेलाकुई, देहरादून को एम०बी०ए० एवं एम०बी०ए० (इन्टीग्रेटेड) पाठ्यक्रम में सत्र 2021-22 का सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2— तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०आ०ई०सी०टी०ई०, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24 (2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :—

क्रमांक	महाविद्यालय/ संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	दून बिजनेस स्कूल, 122-सेलाकुई, नियर फार्म सिटी, देहरादून	एम०बी०ए०	240 सीट	सत्र 2021-22 हेतु
		एम०बी०ए०-इन्टीग्रेटेड	60 सीट	

(1) विश्वविद्यालय, ए०आ०ई०सी०टी०ई० व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(2) सम्बद्धता निर्गत करने से पूर्व विश्वविद्यालय संस्थान से ट्रस्ट डीड की प्रति प्राप्त करते हुए उसकी प्रति इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन स्तर लिये गये निर्णय का अनुपालन विश्वविद्यालय व संस्थान द्वारा किये जाने पर ही अग्रेतर सम्बद्धता पर विचार किया जायेगा तथा उसके अनुपालन से इस सचिवालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या विश्वविद्यालय द्वारा इस सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः 2 पर

(2)

(6) विश्वविद्यालय, संस्थान की Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य की सत्यापित प्रति प्राप्त कर उसकी प्रति इस सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की गुणवत्ता और व्यवहारिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये। संस्थान द्वारा छात्रों की प्रायोगिक शिक्षा और इंटर्नशिप/विजिट के लिए किन समूहों, विभागों एवं कंपनियों के साथ समझौता (MoU) किया गया है। तत्सम्बन्धी अभिलेख दो माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(8) अग्रेतर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू०जी०सी० विनियम/ए०आई०सी०टी०इ० एवं विश्वविद्यालय, शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(9) शासन द्वारा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत करते समय इसका संज्ञान रखा जायेगा।

तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

३०)

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या-२३५३ (१) / जी०एस०(शिक्षा) / A4-100 (P-II) / 2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, दून बिजनेस स्कूल, 122-सेलाकुर्झ, नियर फार्मा सिटी, देहरादून।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

Swati Singh  
(स्वाति एस० मदौरिया)  
कुलाधिपति के अपर सचिव।